न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 2020/0145 दर्ज तिथिः–22.07.2020

1. महादेवा पुत्र श्योबक्स जाति मीणा निवासी बान्दरोल
2. गिर्राज पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी बान्दरोल
3. पप्पूराम पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी बान्दरोल
4. मुकेश पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी बान्दरोल
5. संतोष कुमार पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी बान्दरोल
6. सरवणदेवी पत्नि स्व0 गोविन्दा जाति मीणा निवासी बान्दरोल सभी बालिग तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

................प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार सहाब थानागाजी भू–स्वामी तहसील थानागाजी जिला अलवर।

..................अप्रार्थीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री रामकरण चौपडा।
अप्रार्थीः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–09.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने कल्याण पुत्र मन्ना व नारायण पुत्र खींवा उर्फ खेमा जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी बान्दरोल से आराजी खसरा संख्या साबिक 468/10 बिस्वा, 630/01 बीघा, 629/17 बिस्वा वाके ग्राम बान्दरोल जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.06.1983 द्वारा खरीद की थी। जिसका इन्तकाल संख्या–282 दिनांक 08.05.1886 वाके ग्राम बांदरोल बहक प्रार्थी के नाम स्वीकृत होकर जमाबन्दी सवंत्–2041 में अमल दरामद कर प्रार्थी की खातेदारी दर्ज की गई। परन्तु बन्दोबस्त संवत् 2060 द्वारा साबिक खसरा संख्या 468/10 बिस्वा, 630/01 बीघा, 629/17 बिस्वा से हाल आराजी खाता संख्या 42 हाल आराजी खसरा संख्या 580/0.13 है0, 1025/0.25 है0, 102[illegible] है0 वाके ग्राम बान्दरोल कायम कर प्रार्थी की खातेदारी का इन्द्राज [illegible] कल्याण पुत्र मन्ना व नारायण पुत्र खींवा उर्फ खेमा के नाम खातेदारी इन्द्राज कर [illegible]या। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार नकारात्मक [illegible] से प्रभावित होते हैं। अतः निवेदन है कि हाल खसरा संख्या 580/0.13 है0, 10[illegible]/0.25 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:05 IST
Reason: SelfAttested

1026/0.22 है0 वाकै ग्राम बान्दरोल पर मुताबिक इन्तकाल संख्या 282 व जमाबन्दी सवंत्–2041 प्रार्थी की खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होने के कारण हाल राजस्व रिकॉर्ड में हाल खसरा संख्या 580/0.13 है0, 1025/0.25 है0, 1026/0.22 है0 वाकै ग्राम बान्दरोल पर मुताबिक इन्तकाल संख्या 282 व जमाबन्दी सवंत्–2041 प्रार्थी की खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

3. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2070–73 वाके ग्राम बान्दरोल के नवीन खाता संख्या 42 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
कल्याण पुत्र मन्ना हिस्सा 1/2 तीजा पत्नि नारायण हिस्सा 1/2 जाति हरियाणा ब्रहामण	580	0.13 है0
	1025	0.25 है0
	1026	0.22 है0

इस प्रकार हाल जमाबंदी संवत् 2070–73 वाके ग्राम बान्दरोल के नवीन खाता संख्या 42 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी कल्याण पुत्र मन्ना हिस्सा 1/2 तीजा पत्नि नारायण हिस्सा 1/2 जाति हरियाणा ब्रहामण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

4. प्रकरण में मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त संवत् 2060 वाके ग्राम बान्दरोल का प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड का विवरण निम्न प्रकार हैः–

बन्दोबस्त संवत् 2060			
खसरा नम्बर हाल	रकबा	साबिक	रकबा
580	0.13 है0	468	10 बिस्वा
1025	0.25 है0	630	01 बीघा
1026	0.22 है0	629	17 बिस्वा

5. प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2041, जमाबंदी संवत् 2045 वाके ग्राम बान्दरोल का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार	खसरा संख्या	रकबा
कल्याण पुत्र मन्ना ब्रा. हरि. सा. कुण्डला [illegible] हि0 [illegible]सा जिला जयपुर वाही बिला हाल आबाद सा0 [illegible] 2 हि0 नारायण मजकूर बिला [illegible]	468	10 बिस्वा
	629	17 बिस्वा
	630	01 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:05 IST
Reason: SelfAttested

6. इस प्रकार शामिल मिसल पंजीकृज बयनामा दिनांक 15.06.1883 का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार हैः–

खसरा	रकबा	विक्रेता	क्रेता
468	10 बिस्वा	कल्याण पुत्र मन्ना नारायण पुत्र खींवा उर्फ खेमा	गोविन्दा महादेव पिसरान श्योबक्स मीना निवासी बान्दरोल
629	17 बिस्वा		
630	01 बीघा		

इस प्रकार पंजीकृज बयनामा दिनांक 15.06.1883 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी के वर्तमान खातेदार के पूर्वजों से खरीदकर कब्जा प्राप्त कर लिया।

7. इस प्रकार शामिल मिसल नामान्तकरण संख्या 282 दिनांक 08.05.1986 वाके ग्राम बान्दरोल का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार हैः–

खसरा	रकबा	पूर्व की प्रविष्टि	पश्चात की प्रविष्टि
468	10 बिस्वा	कल्याण पुत्र मन्ना हिस्सा–1/2 नारायण पुत्र खींवा उर्फ खेमा हिस्सा–1/2	गोविन्दा महोदव पिसरान श्योबक्स मीना सा0देह खातेदार
629	17 बिस्वा		
630	01 बीघा		

8. प्रकरण में शामिल मिसल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2041 वाके ग्राम बान्दरोल का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार	खसरा संख्या	रकबा
कल्याण पुत्र मन्ना ब्रा. हरि. सा. कूण्डलात तह0 दौसा जिला जयपुर वाही बिला हाल आबाद सा0 देह 1/2 हि0 नारायण मजकूर बिला हि.सा 1/2 सा.देह	468	10 बिस्वा
	629	17 बिस्वा
	630	01 बिस्वा
नोटः– 282 दिनांक 08.05.1886 बयनामा द्वारा आराजी खसरा संख्या 468/10 बिस्वा, 629/17 बिस्वा, 630/01 बीघा किता 03 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा पर गोविन्दा महादेवा पिसरान श्योबक्स मीना सा.देह खातेदार नाम दर्ज होना स्वीकार हुआ।		

इस प्रकार जमाबंदी संवत् 2041 वाके ग्राम बान्दरोल अवलोकन से प्रतीत होता है कि पंजीकृज बयनामा दिनांक 15.06.1883 के आधार पर प्रार्थीगण के नाम अमल दरामद होकर जमाबन्दी में खातेदारी इन्द्राज किया गया। परन्तु हाल जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल संवत्–2060 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत् 2041 वाके ग्राम बान्दरोल का अमल आगे की चौसाला जमाबन्दियों में नहीं किया जाकर मूल विक्रेता के नाम ही दर्ज रिकॉर्ड रखा गया।

9. प्रकरण में तहसीलदार थानागा[illegible] की रिपोर्ट [illegible] कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 10:44:05 IST
Reason: SelfAttested

- *उक्त चूकि वि[illegible] कल्याण पुत्र [illegible] ने अपना 1/2 हिस्सा बैंक रहन किया हुआ था [illegible] से आगामी चौसाला जमाबंदी के खाता संख्या 25 [illegible] उक्त खसरा नंबरों में उक्त नामान्तकरण संख्या 282/08.05.1886 किस्म बयनामा का*

अमल नहीं किया गया। जो वर्तमान में भी विक्रेता कल्याण पुत्र मन्ना के नाम दर्ज चली आ रही है।

- *उक्त खसरा नंबरों 580/0.13 है0, 1025/0.25 है0, 1026/0.22 है0 वाकै ग्राम बान्दरोल में कल्याण पुत्र मन्ना का हिस्सा–1/2 इन्तकाल संख्या 556/25.02.1993 किस्म रहन मुक्त द्वारा रहन मुक्त हो चुकी है तथा वर्तमान में कल्याण पुत्र मन्ना का 1/2 हिस्सा बिला रहन दर्ज है।*
- *चूंकि नामान्तकरण संख्या 282/08.05.1886 किस्म बयनामा स्वीकृत हो चुका है तथा विक्रेता कल्याण पुत्र मन्ना का 1/2 हिस्सा बिला रहन दर्ज हो चुका है। अतः नामान्तकरण संख्या 282/08.05.1886 किस्म बयनामा के आधार पर बयनामा ग्राम बान्दरोल की वर्तमान जमाबंदी संवत्–2074–77 के खाता संख्या 51 में खसरा संख्या 580/0.13 है0, 1025/0.25 है0, 1026/0.22 है0 में विक्रेता कल्याण पुत्र मन्ना हिस्सा 1/2 जाति हरियाणा ब्राहमण सा. कुण्डल तहसील व जिला दौसा खातेदार के स्थान पर गोविन्दा पुत्र श्योबक्स हिस्सा–1/4 महादेव पुत्र श्योंबक्स हिस्सा–1/4 जाति मीना सा. देह खातेदार दर्ज कर दुरूस्त किया जाना उचित है।*

10. उक्त विश्लेषण के अनुसार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा साबिक खसरा संख्या 468/10 बिस्वा, 630/01 बीघा, 629/17 बिस्वा वाके ग्राम बान्दरोल को जरिये बयनामा दिनांक 15.06.1983 खरीद की थी। जिसका नामान्तकरण संख्या 282 दिनांक 08.05.1986 वाके ग्राम बान्दरोल बहक प्रार्थीगण के नाम स्वीकृत होकर जमाबन्दी सवंत्–2041 प्रार्थी की खातेदारी दर्ज की गई। परन्तु बन्दोबस्त संवत् 2060 द्वारा साबिक खसरा संख्या 468/10 बिस्वा, 630/01 बीघा, 629/17 बिस्वा वाके ग्राम बान्दरोल से हाल आराजी खसरा संख्या 580/0.13 है0, 1025/0.25 है0, 1026/0.22 है0 वाके ग्राम बान्दरोल कायम कर प्रार्थी की खातेदारी का इन्द्राज का अमल दरामद नहीं कर पूर्व विक्रेता कल्याण पुत्र मन्ना हिस्सा–1/2 नारायण पुत्र खींवा उर्फ खेमा हिस्सा–1/2 के नाम खातेदारी इन्द्राज को यथावत मुताबिक साबिक रिकॉर्ड रख दिया। जबकि हाल आराजी खसरा संख्या 580/0.13 है0, 1025/0.25 है0, 1026/0.22 है0 वाके ग्राम बान्दरोल कायम कर प्रार्थी की खातेदारी का इन्द्राज का अमल दरामद होकर प्रार्थीगण की खातेदारी का अंकन कानूनी रूप से उचित था। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व के विक्रेता कल्याण पुत्र मन्ना हिस्सा–1/2 नारायण पुत्र खींवा उर्फ खेमा हिस्सा–1/2 संबंधी इन्द्राज को मुताबिक बयनामा दिनांक 15.06.1983, नामान्तकरण संख्या 282 दिनांक 08.05.1986 वाके ग्राम बान्दरोल बहक प्रार्थीगण तथा जमाबन्दी सवंत्–2041 खाता संख्या–16 वाके ग्राम बान्दरोल तथा तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबिक राजस्व रिकॉर्ड व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बयनामा दिनांक 15.06.1983, नामान्तकरण संख्या 282 दिनांक 08.05.1986 वाके ग्राम बान्दरोल बहक प्रार्थीगण तथा जमाबन्दी सवंत्–2041 खाता संख्या–16 वाके ग्राम बान्दरोल तथा तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 580/0.13 है0, 1025/0.25 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19.44.05 IST
Reason: Selftested

1026/0.22 है0 वाके ग्राम बान्दरोल पर विक्रेता के राजस्व इन्द्राज के अंकन को कलमजन कर प्रार्थीगण क्रेतागण **गोविन्दा महोदव पिसरान श्योबक्स मीना** हिस्सा मुताबिक बयनामा अंकन करने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 09.05.2023 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:05 IST
Reason: SelfAttested